प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में XI वीं योजना के दौरान "कोयला ब्लाकों के आबंटन एवं कोयला उत्पादन के संवर्धन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं। कोयले की माँग और घरेलू आपूर्ति में बढ़ते अन्तर तथा परिणामस्वरूप आयातों में उत्तरोत्तर वृद्धि से स्थिति नाजुक बन गई है जिसके कारण पारदर्शिता तथा वास्तविकता के दृष्टिकोण से कोयला ब्लाकों के आबंटन में अपनाई गई प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता की जांच के लिए एक अध्ययन करना उचित हो गया है। विद्युत, इस्पात और सीमेंट जैसे मूल अवसंरचना सेक्टरों की मांग की पूर्ति के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने में सीआईएल द्वारा निष्पादन का विश्लेषण भी किया गया है। 2004 से प्रारम्भ किए गए कोयला मंत्रालय की पहल के मद्देनजर आंतरिक कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली का आश्रय न लेकर निजी आबंटितियों को हस्तांरित संभावित लाभ का मुद्दा भी प्रस्तुत किया गया हैं।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सीआईएल और कोयला मंत्रालय से प्राप्त सहयोग हेतु लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।